

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड
वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

सं0 स्था0नि0प्रतिवेदन संख्या 27/2017-18/

दिनांक : 21/07/2017

सेवा में,

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी,
ग्राम पंचायत- होर्वाला
विकास खण्ड- विकासनगर
जिला- देहरादून

विषय : ग्राम पंचायत होर्वाला का वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग 4 (ब)-1 में शून्य प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में 04 प्रस्तर तथा STAN के शून्य प्रस्तर हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (*Annual Technical Inspection Report*) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0प्रतिवेदन संख्या- 27/2017-18/

दिनांक: 21/07/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, डांडा लाखोंड, आई0टी0पार्क सहस्त्रधारा रोड देहरादून
- 2- निदेशक, लेखापरीक्षा (ऑडिट) निदेशालय उत्तराखण्ड, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोड: 248005
- 3- जिला पंचायतराज अधिकारी, देहरादून
- 4- खण्ड विकास अधिकारी, विकासनगर

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

ग्राम पंचायत **होर्वाला**, (क्षेत्र पंचायत- **विकासनगर** , जनपद- **देहरादून** लेखे पर निरीक्षण प्रतिवेदन। यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखाकार (क.श.एवं.से.श.) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अन्तर्गत सम्पन्न की गयी है।

भाग-1

ग्राम पंचायत **होर्वाला**, (क्षेत्र पंचायत- **विकासनगर**, जनपद - **देहरादून** के वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 तक के लेखों की लेखापरीक्षा श्री नितिन वर्मा, ले.प, श्री विजय बड़थवाल, स.ले.प.अ. श्री केदार सिंह,स.ले.प.अ. द्वारा एवं श्री बी एस चंदेल, व.ले.प.अ. के पर्यवेक्षण में दिनांक 06/06/2017 से 14/06/2017 तक संपादित की गयी।

2. परिचय

(अ) इस ग्राम पंचायत का यह प्रथम निरीक्षण था।

(ब) ग्राम पंचायत का परिचय अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

3. प्रशासन

उल्लिखित अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधान और उप प्रधान थे-

I प्रधान

नाम

(अ) श्री रवीन्द्र सिंह

(ब) श्री मोहनलाल

अवधि

जुलाई 2014 से अब तक

2009 से फरवरी 2014 तक

II उप-प्रधान

नाम

(अ) श्रीमती संध्या देवी

अवधि

जुलाई 2014 से अब तक

भाग-2

अनुभाग 'अ'

1 (अ) पिछले प्रतिवेदनों के बकाया आपत्तियों के प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है।

-प्रथम निरीक्षण-

(ब) सतत् अनियमितताएं:-

- 1- उ.प्र.पं.रा.अ. 1947 की धारा 41 के अनुसार बजट तैयार नहीं किया जा रहा था ।
- 2- आंतरिक लेखापरीक्षा संपादित/ निष्पादित नहीं की जा रही थी।
- 3- ग्राम पंचायत की समिति की बैठक नहीं करवायी जा रही थी ।

2. अनुदान

अनुदानों की विनियोग पंजी नहीं रखी जा रही है, एवं अनुदानों की विनियोग पंजी न रखने से होने वाले प्रभाव निम्नवत् है।

- 1- अनुदान पंजिका नहीं बनाए जाने के कारण अनुदान प्राप्तिउपभोग एवं अवशेष की जांच नहीं की जा सकी।

भाग-2
अनुभाग 'ब'

1. लेन-देनों का परिमाण

सम्प्रेक्षणाधीन वर्ष के दौरान लेन-देनों का परिमाण निम्नलिखित विवरणानुसार था।

	धनराशि (` में)
01.04.2016 को प्रारम्भिक शेष	` 121972.00
जोड़े-वर्ष के दौरान प्राप्तियां	` 2879256.00
कुल प्राप्तियां	` 3001228.00
घटाये:- वर्ष के दौरान व्यय	` 2389284.00
31.03.2017 को अंतिम शेष	` 611944.00

2. रोकड़ शेष:

(i) ग्राम पंचायत की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2017 को शेष का कोषालय/बैंक पास बुक/विवरण के शेष से मिलान किया गया है। समाधान विवरण संलग्न में न भुनायी गयी चैकों तथा जमा न किए गए चालानों का विवरण दिया गया है जिनको नीचे उल्लिखित किया गया है।

-----शून्य-----

3. समाधान विवरण

	(धनराशि ` में)
रोकड़ बही के अनुसार शेष	611944/-
जोड़े	--
(i)	:
घटायें	:
(i)	---
बैंक पासबुकों/विवरण के अनुसार शेष	611626/-
इकाई के पास नकद राशि	318/-

(ii) रोकड़ बही में अनियमितताएं

4. आय व्ययक

(अ) ग्राम पंचायत ने वर्ष के लिए न तो कोई आय व्ययक अनुमान तैयार/अनुमोदित किया न ही 30प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियम 41 के अधीन कोई कार्यवाही की। परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई राशि 2389284/- 30प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 41 के अनुसार अनाधिकृत है।

5. अग्रिम:

अग्रिम पंजिका नहीं बनायी गयी थी। अतएव निरीक्षण में अग्रिमों के संबंध में कोई निरीक्षण टिप्पणी नहीं की जा सकी।

6. नहीं बनाये गये अति महत्वपूर्ण अभिलेख:

(1) ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित लेखा पंजिकार्यें/अभिलेख नहीं खोली/रखी गयी थी या इनका ठीक से रख-रखाव नहीं किया गया था:-

लेखा पंजिकाओं/अभिलेखों का नाम

- 1- बिल पंजिका
- 2- अग्रिम पंजिका
- 3- कार्य पंजिका
- 4- अनुदान पंजिका

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मक- कार्यालय ग्राम पंचायत होरावाला, (क्षेत्र पंचायत- विकासनगर, जनपद - देहरादून के वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 तक के लेखों की लेखापरीक्षा श्री नितिन वर्मा, ले.प, श्री विजय बड़थवाल, स.ले.प.अ. श्री केदार सिंह, स.ले.प.अ. द्वारा एवं श्री बी एस चंदेल, व.ले.प.अ. के पर्यवेक्षण में दिनांक 06/06/2017 से 14/06/2017 तक संपादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थिति:-

-प्रथम निरीक्षण-

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 प्रस्तर भाग-4 (अ) प्रस्तर भाग-4 (ब)

(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर -

प्रतिवेदन संख्या वर्ष

भाग

प्रस्तरों की संख्या

(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर-

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची:

भाग- 2 'अ' के 1(ब) के अनुसार

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख:

भाग- 2(ब) के 6(i) के अनुसार

भाग (4) ब 2

प्रस्तर-01- भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं हेतु निर्धारित नवीन बजट तथा लेखा प्रारूपों पर लेखा तैयार नहीं किया जाना।

भारत के 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासन के दिशा में सशक्त बनाने हेतु भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं हेतु नवीन एवं सरलीकृत बजट तथा लेखा प्रारूपों को अपनाने हेतु निर्धारित किया गया था। जिसके तारतम्य में उत्तराखण्ड शासन द्वारा अपने शासनादेश संख्या 619/XII /2005/82(06) 2004 दिनांक 26-7-2005 के द्वारा इन प्रारूपों को औपचारिक रूप से दिनांक 01-04-2005 से लागू किया गया था ।

ग्राम **होरावाला** के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि इकाई के अभिलेखों में लेखांकन भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूपों पर तैयार नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त के विषय पर पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि वर्तमान में पंचायत राज अधिनियम के द्वारा निर्धारित प्रारूपों में लेखांकन का कार्य किया जा रहा है, किन्तु नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूपों में कार्य प्रशिक्षण के अभाव में अभिलेखों का लेखांकन किये जाने में कठिनाई हो रही है।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि शासनादेश दिनांक 01-04-2005 को लागू किये जाने के पश्चात भी ग्राम पंचायत द्वारा अद्यतन तिथि अंगीकार तक नहीं किया गया जिसके कारण अभिलेखों का रख रखाव अपूर्ण था।

अतः निर्धारित प्रारूपों को ग्राम पंचायत द्वारा लागू न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग (4) ब 2

प्रस्तर 02- संविधान के 73वें संशोधन के ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषय में से मात्र 14 विषय का अपूर्ण हस्तान्तरण।

1992 में संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं जिनमें ग्राम पंचायत भी सम्मिलित है,को स्वायतता (self governance) प्रदान की गई है। तदनुसार संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों का हस्तान्तरण त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को किया जाना है। वर्तमान निरीक्षण तक राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को मात्र 14 विषय ही हस्तान्तरित किये गये हैं जो निम्नवत हैं।

1. पेयजल आपूर्ति
2. ग्रामीण आवास
3. गरीबी उन्मूलन
4. प्राथमिक शिक्षा
5. प्रौढ एवं अनौपचारिक शिक्षा
6. पुस्तकालय
7. सांस्कृतिक क्रियाकलाप
8. परिवार कल्याण
9. स्वास्थ्य तथा स्वच्छता कार्यक्रम
10. महिला एवं बाल विकास
11. समाज कल्याण
12. सार्वजनिक वितरण प्रणाली
13. लघु सिंचाई
14. कृषि तथा सम्बन्धित विभाग

उपरोक्त विषय उत्तराखण्ड शासन द्वारा वर्ष 2006 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किये गये थे।

परन्तु ग्राम **बड़वा** की अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा मात्र 14 विषयों का शासनादेश निर्गत किया गया है। परन्तु इन 14 विषयों से सम्बन्धित कर्मचारी एवं अधिकारी ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित नहीं किये गये हैं। हस्तान्तरित नहीं किये जाने के कारण 73वें संविधान संशोधन का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

लेखा परीक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि शासन स्तर पर शासनादेश जारी किया गया है, किन्तु ग्राम पंचायत को पूर्ण दायित्व वास्तविक रूप से हस्तान्तरित नहीं किये गये हैं।

अतः उत्तर सन्तोषजनक नहीं है, प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4 (ब) 2

प्रस्तर 03 - उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्मित पंचायती राज अधिनियम 2016 के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य न किया जाना।

उत्तराखंड सरकार ने अप्रैल 2016 में पंचायती राज अधिनियम का निर्माण किया था जिसके अनुसार पंचायतों को अपना कार्य करना था। यह अधिनियम वित्तीय वर्ष 2016-17 से लागू कर दिया गया था। अधिनियम की धारा तीन से 48 तक में ग्राम पंचायतों के गठन, बैठक एवं कार्य करने का विवरण दिया गया है।

ग्राम पंचायतों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि **ग्राम पंचायत होरावाला विकासखंड विकासनगर, देहरादून** में आवश्यक अभिलेखों जैसे कोष बही रजिस्टर, पंचायत कार्य-कारणी रजिस्टर, स्वामित्व रजिस्टर, रसीद बही रजिस्टर, खाताबही रजिस्टर, करदाताओं की सूची, मजदूरी रजिस्टर, मांग व वसूली रजिस्टर, निरीक्षण रजिस्टर, स्टॉक बुक, गार्ड फाइल, करदाताओं की सूची का मुख्य पृष्ठ, ग्राम पंचायत कि परिसंपत्तियाँ आदि का रख रखाव नहीं किया जा रहा था। साथ ही यह भी पाया गया कि ग्राम सभा द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में चार सामान्य बैठक(धारा 3 घ) के सापेक्ष सिर्फ एक बैठक की गई। ग्राम सभा द्वारा केवल निर्माण कार्यों की प्राथमिकता दी जाती है। ग्राम पंचायत द्वारा कार्य हस्तांतरण प्रमाण पत्र नहीं लिया गया था जो कि धारा 8(6)क के अनुसार आवश्यक था। ग्राम पंचायत द्वारा अधिनियम कि धारा 22(1) एवं 23 के अनुसार कार्य न कराते हुए केवल योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त धनराशि को ही व्यय किया जा रहा था। इससे स्पष्ट था कि ग्राम पंचायत द्वारा जनहित में अन्य कार्य तथा निजी स्त्रोतों से आय बढ़ाने का कार्य नहीं किया गया जैसा कि अधिनियम कि धारा 29 में वर्णित है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल जुलाई 2014 में प्रारम्भ हुआ था, लेकिन लेखापरीक्षा तिथि तक समितियों (शिक्षा समिति, निर्माण समिति, कार्य समिति, स्वच्छता समिति, प्रशासनिक समिति, जल प्रबंधन समिति, नियोजन समिति, भूमि प्रबंधन समिति एवं विकास समिति) की नियुक्ति की गयी परंतु समितियाँ क्रियाशील नहीं थी। समितियों के क्रियाशील न होने के कारण ग्राम पंचायतों का बजट तैयार एवं पारित करना तथा भूमि प्रबंधन का कार्य अधिनियम के अनुसार नहीं किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर बताया गया कि यथाशीघ्र समितियां क्रियाशील होंगी तथा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत अधिनियम के धाराओं का उल्लंघन कर रही थी जिससे ग्राम में विकास का कार्य के साथ साथ स्वच्छता, शिक्षा, कृषि, भूमि प्रबंधन के साथ साथ निजी स्रोतों से आय में वृद्धि नहीं हो रही थी।

अतः उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्मित पंचायती राज अधिनियम 2016 के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य न किया जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-3

2014-15

क्र. सं	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अंतिम अवशेष
1	केंद्रीय वित्त	35887	131000	166887	160000	6887
2	राज्य वित्त	90000	258000	348000	179325	168675
3	ब्याज प्राप्ति	456	8840	9296	-	9296
4	NRLM (स्वच्छता)	7920	244800	252720	2477620	5100
5	अन्य मद	-	-	-	-	-
कुल योग		134263	642640	776903	586945	189958

2015-16

क्र. सं	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अंतिम अवशेष
1	केंद्रीय वित्त	6887				
2	राज्य वित्त	168675				
3	ब्याज प्राप्ति	9296				
4	NRLM (स्वच्छता)	5100				
5	अन्य मद	-				
कुल योग		189958	741098	931056	09084	

2016-17

लेखाओं पर टिप्पणी-

- 1-वर्ष के अंत में बड़ी धनराशि बची हुई है, अर्थात् योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है।
- 2- लेखाओं का रख-रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है।

3- इकाई द्वारा बैंक समाधान विवरण नहीं बनाया जा रहा है।